ई–मेल/डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

कमांकः प.3(3)(1)रोल/निर्वा/2016/967 **जयपुर, दिनांक** 4/3/2016

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : अर्हता दिनांक 01.01.2017 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व की जाने वाली प्रारम्भिक गतिविधियों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अर्हता दिनांक 01.01.2016 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 11 जनवरी, 2016 को किया गया है। मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद वर्तमान में अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची में मूल मतदाता सूची 2014 के साथ 6 पूरक सूचियॉं सलग्न है तथा 7वीं पूरक सूची संदर्भ तिथि 01.01.2017 के संदर्भ में मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व निरन्तर अद्यतन प्रक्रिया के दौरान तैयार की जाएगी।

2. कृपया इस विभाग के पत्र कमांक 3232 दिनांक 21.08.2015 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा संदर्भ तिथि 01.01.2016 के क्रम में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संदर्भ में आपको अवगत कराया गया था कि इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन पूरक सूची के एकीकरण के बिना किया जाएगा। तद्नुसार राज्य के सभी जिलों में प्रारूप प्रकाशन की कार्यवाही की गई है। कृपया इस पत्र के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग के पत्र कमांक 22/2/2014–ईआरएस दिनांक 02.10.2014 का अवलोकन करें, जिसमें यह स्पष्ट निर्देश दिए गए है कि चुनावी वर्ष नहीं होने की स्थिति में भी प्रत्येक वर्ष विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व मतदाता सूची के साथ संलग्न सभी पूरक सूचियों का एकीकरण किया जाकर ही एकीकृत मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाए। वर्ष 2016 के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रारम्भ होने से पूर्व पूरक सूचियों का मूल मतदाता सूची में एकीकरण किए बिना प्रारूप प्रकाशन करने की अनुमति भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त कर ली गई थी।

3. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संदर्भ तिथि 01.01.2017 के क्रम में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व मतदाता सूची के साथ संलग्न सभी पूरक सूचियों का मूल मतदाता सूची में एकीकरण एवं आयोग के निर्देशानुसार बीएलओ रजिस्टर भी मुद्रित करवाकर बीएलओ को उपलब्ध करवाए जाने है, इसलिए इस विषय में जिला स्तर पर निम्न प्रकार से कार्यवाही की जानी है।

3.1 पूरक सूचियों का एकीकरण – राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) द्वारा मतदाता सूचियों की तैयारी, मुद्रण एवं कम्प्यूटराईजेशन के विषय में विगत् दो वर्ष पूर्व टेंडर आमंत्रित किए गए थे, जिसमें पूरक सूचियों के एकीकरण से संबंधित कार्य का समावेश नहीं किया गया था। चूंकि आयोग के वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार आगामी पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व पूरक सूचियों का एकीकरण किया जाना अनिवार्य है, इसलिए इस कार्य का समावेश करते हुए नए सिरे से निविदाऍं आमंत्रित करनी होंगी।

3.2 **बूथ लेवल अधिकारियों का रजिस्टर** – आयोग के स्थाई दिशा–निर्देश है कि मतदाता सूची की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु मतदाता सूची के डेटाबेस के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में बीएलओ का रजिस्टर मुद्रित करवाया जाकर उन्हें उपलब्ध कराया जाए। इस विषय में आयोग के निर्देश है कि बीएलओ का रजिस्टर उन्हें मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व उपलब्ध कराया जाए। चूंकि जिला स्तर पर मतदाता सूची का कम्प्यूट्रराईजेशन आदि के विषय में नए सिरे से टेंडर आमंत्रित किए जाएगे इसलिए बीएलओ के रजिस्टर के मुद्रण के विषय को समावेशित किया जावें।

4. जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) से अनुरोध है कि वह आगामी पुनरीक्षण कार्यक्रम से पूर्व जिला स्तर पर मतदाता सूचियों के मुद्रण एवं कम्प्यूट्रराईजेशन हेतु आमंत्रित किए जाने वाले टेंडर आदि में उपरोक्त कार्यो को समावेशित करते हुए टेंडर आमंत्रित करने के विषय में कार्यवाही प्रारम्भ करें जिससे कि अर्हता दिनांक 01.01.2017 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन से पूर्व सभी कार्यवाही यथा पूरक सूचियों का एकीकरण एवं बीएलओ के रजिस्टर के मुद्रण के विषय में कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

जिला स्तर से जारी की जाने वाली निविदा का मानक दस्तावेज यथा शीघ्र आपको प्रेषित कर दिया जायेगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

भवदीया,

(राजेश यादव)
कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.3(3)(1)रोल/निर्वा/2016/ **जयपुर, दिनांक :**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. समस्त संभागीय आयुक्त, (रोल पर्यवेक्षक) राजस्थान।
2. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, राजस्थान।
3. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, (आई.टी.) कृपया उपरोक्तानुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) द्वारा जारी की जाने वाली निविदा का मानक दस्तावेज आगामी 7 दिन में तैयार कर प्रस्तुत करने का श्रम करावें।
4. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान।
5. लेखा शाखा, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली - 110 001
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

No. 22/2/2014-ERS

Dated: 2nd October, 2014

To,

The Chief Electoral Officers,
of all States/UTs.

Sub: Revision of electoral rolls- pre revision activities- integration of supplements -regarding.

Sir,

I am directed to make reference to Para 3 of the ECI letter number 222/2008 dated 11th August, 2008, on the subject cited, and to state that the Commission has now decided that integration of all supplements should be done every year , irrespective of the fact whether it is an election year or non-election year, before draft publication. The States/UTs who cannot do for any year for any state specific reasons, shall take ECI specific permission for it.

I am further to state that the Commission has already announced schedule for special summary revision with reference to 1.1.2015 as qualifying date vide letter number 23/2014 dated 21st July,2014. Hence, the States/UTs who want to do integration of supplements are free to do it, under intimation to the Commission. They shall ensure that in the integration process, there is no data loss and it is done strictly according to ECI instructions in this regard.

I am further to add that if as result of rationalization of polling stations under taken as pre-revision activity, any new polling station has been created or location of any polling station changed or the electors assigned to a polling stations are retagged to some other polling station or the nomenclature of any polling station has been changed etc then the control tables in the ERMS must be corrected and updated accordingly before draft publication. The CEOs should get a certificate from concerned DEOs to this effect.

It is further clarified and reiterated that under Rule 32 of the R.E.Rules, 1960 one authenticated printed copy of the roll shall be retained by the concerned ERO till at least one year after final publication of roll after the next intensive revision or the summary revision. One authenticated printed copy of the roll along with one copy of the roll in electronic form shall be retained by the office of the concerned DEO as a permanent record. It is made clear that the copy of electoral roll inciudes the supplements of addition/deletions and corrections, if any.

Please inform all concerned for strict compliance.

Yours faithfully

(R.K. Srivastava)
Principal Secretary

Tel 011-23717391-98, Fax 011-23713412, Website www.eci.nic.in

"मजबूत लोकतंत्र - सबकी भागीदारी"
Greater participation for a stronger democracy